FORM NO. III
फर्द अहकाम
(निमय 26)

2025/427

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

सरकार जरिये नायब तहसीलदार दबलाना (Sumoto)

किस्म मुकदमा 121 L.R.Act नं. 53/प्रा.पत्र/ सन् 2025

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/3/25	यह प्रकरण नायब तहसीलदार उप–तहसील दबलाना की ओर से न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 148/प्रा0पत्र/2015 बउनवान रमेश कुमार बनाम राज0 सरकार निवासी गोठडा में पारित निर्णय की पालना में घोषित रास्ते पालना में मौके पर घोषित रास्ते के स्थान पर D.I.L.R.M.P प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खसरा संख्या–449 रकबा 5.8598 हैक्टेयर ग्राम गोठडा में शमशान हेतु आरक्षित भूमि की तरमीम मौके अनुसार न होकर प्रस्तावित मार्ग में हो गयी है, जिसे वर्तमान मौके अनुसार संशोधित करने उपरान्त निर्णय की पालना किया जाना अवगत कराकर प्रकरण तरमीम शुद्ध करने बाबत प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थी रमेश कुमार विजय द्वारा भी उक्तानुसार भूमि की तरमीम वर्तमान स्थिति अनुसार दुरूस्त करवाकर न्यायालय निर्णय अनुसार पालना करवाई जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार दबलाना के ग्राम गोठडा पटवार मण्डल गोठडा के खसरा नम्बर 449 रकबा 5.8598 हैक्टेयर भूमि सिवायचक दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक पूर्व के प्रस्तावित नजरी नक्शा में प्रार्थी को रास्ता दिया गया था। खसरा संख्या 249 में से शमशान हेतु वर्ष 2010 में आरक्षित भूमि की गई थी। परन्तु वर्ष 2019 में उक्त शमशान हेतु आरक्षित भूमि की तरमीम, आरक्षित भूमि पर नहीं करके उक्त प्रस्तावित मार्ग में हो गयी है,. जिस कारण प्रार्थी के पक्ष में घोषित रास्ते की भूमि व जी0एस0एस0 के सबग्रिड स्टेशन के रास्ते को बाधित कर रही है। अतः उक्त तरमीम को लगभग 50 मीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट करने पर सबग्रिड स्टेशन पर पहुँचने हेतु प्रचलित रास्ते व प्रार्थी को घोषित रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जा सकेगा। अतः उक्तानुसार तरमीम दुरूस्ती कर आदेश को आंशिक रूप से अमल करने हेतु आदेशित किया जावे व खसरा संख्या 450 वन–विभाग के नाम दर्ज होने से निर्णय आंशिक रूप से पालना बाबत उचित आदेश करने की कृपा करे। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार दुरस्ती आदेश प्रदान करने की प्रार्थना प्रार्थी द्वारा की गई है। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बाद संतुष्टि के नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रेषित प्रस्ताव यथा स्वीकृत किया जाता है। वाद विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर पक्षकारान राहत प्राप्त कर सकेगे। खसरा संख्या 450 वर्तमान में वन–विभाग के नाम दर्ज होने से उस पर घोषित रास्ते को वन–विभाग की भूमि की हद तक स्थगित रखा जावे। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	